

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

उनवान सरकार बनाम

तारीख हुकम

मुकदमा नं० निर्णय दि०.....

2-4-21

वादी
वकील
पेशी
26.5.21

26-4-21

पत्रावली पेश। नोटिस तामील होकर प्राप्त। अतः इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली कहल हेतु दि. 26.5.21 को पेश हो।

26.5.21

पत्रावली कहल हेतु पेश। वादी आधीवता उपस्थित कहल दावा चुनी गयी।
वादीया गीताबाली ने ग्राम पाड़ली के खाता सं. 56 के ख.नं. 1011 रकवा 10 है व खाता सं. 152 के ख.नं. 928 का वहांक मोचन व पंजीयत वैयनामा के आधार पर खातेदारी घोषणा व वहांक मोचन का अनुवोध चाला है।
उत्तिवादीगण नोटिस तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने पर दि. 26.3.21 व 26.4.21 को उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

कहल के वक्तों व वाद का अवलोकन किया गया।
वादीया खाता सं. 56 की खातेदार काबतकार है तथा उत्तिवादी गण वर्तमान रकम मुर्तहीन दर्ज है। काबतकारी आधीवता के प्रावधानों अनुसार उत्तिवादीगण की वर्तमान रकम मुर्तहीन जमावदी में जमावदी के रूप में दर्ज होने की कोई आधीकारिता प्राप्त नहीं है।

खाता सं. 152 की खातेदार भागावदी देवी है व उत्तिवादीगण वर्तमान रकम मुर्तहीन खाते में दर्ज है। काबतकारी आधी. के प्रावधानों अनुसार रकम मुर्तहीन दर्ज रहने बावत उन्हें कोई आधीकारिता प्राप्त नहीं है।

152 की रकम पूर्ण रूप से वादीया गीताबाली ने खाता सं. 127 का पंजीयत वैयनामा दि. 19.12.14 को जखा किया है। अतः वादीया गीताबाली की ग्राम पाड़ली के खाता सं. 56/40 का वर्तमान खातेदार व खाता सं. 152 का वर्तमान खातेदार खातेदार घोषित किया जाता है तथा उपस्थित दोनों खातों से उत्तिवादीगण के नाम हटाफ करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार डिप्टी जजरी होकर पत्रावली फैसल सुमार हो।

26.5.21